



Neutral Citation No - 2026:AHC:28884-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2026 की 491

नीरज रस्तोगी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बीना सिंह, कृष्ण कुमार सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों हेतु दाखिल की गई है:-

"(i) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद में वाद अपराध संख्या 83/2025 तहत धारा 316(2), 318(4), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता में निष्पक्ष एवं समुचित अन्वेषण पूर्ण करें।

(ii) ऐसी अन्य एवं अतिरिक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं समुचित समझे।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) रिट याचिका का वाद-व्यय अधिनिर्णीत किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचनाकरता है और यद्यपि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 को पंजीकृत की गई है, तथापि पुलिस प्रकरण का निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से अन्वेषण नहीं कर रही है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के समक्ष अपनी शिकायत उजागर करते हुए एवं निष्पक्ष तथा तटस्थ अन्वेषण की माँग करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद वर्तमान प्रकरण में निष्पक्ष, तटस्थ एवं शीघ्र अन्वेषण सुनिश्चित करेंगे।

5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित होती है।

9 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"